आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
22/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया है कि साक्ष्य रिकार्ड करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा सकती तथा साक्ष्य एकत्रित करना न्यायालय का काम नहीं है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थी सरनामा। हुआ प्रस्तुत पत्र पर 026R9 CPC का आदेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते तामील आदेश अप्रार्थी सरनामा 2 दिनांक 23/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई। बहुतायत अप्रार्थी पक्ष 2 वाइस तामील शरीर नहीं। अतः नियमानुसार तामील करवाने हेतु पत्रावली वास्ते दिनांक 21/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)	
	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण ने न्यायालय कार्य का बहिष्कार/स्थगन पर रखा। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 7/10/24 को पेश हो।	
7/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान, उभयपक्ष के फैसल पर शुरुवात की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)	T I बहस
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्ष पर स्थगित [illegible] करवाया जाकर वाहिद फाइनल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज के [illegible] पत्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Sonal
Date: 2024.12.05 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner